

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून / पौड़ी / अल्मोड़ा / हल्द्वानी।

विषय :- मार्गों पर Re-Surfacing/Strengthening के सम्बन्ध में।

राज्य के आबादी/शहरी भागों में अक्सर मार्ग जल्दी क्षतिग्रस्त होते हैं। जिसका कारण यातायात घनत्व, ड्रेनेज तथा अन्य कारण होते हैं, जिसमें अक्सर हर 2-4 साल बाद हॉट मिक्स प्लान्ट द्वारा Raising/Re-Surfacing/Strengthening का कार्य करा दिया जाता है, जिस कारण हर 2-4 साल में मार्ग की मोटाई बढ़ रही है। कई स्थानों पर तो यह देखा गया कि पिछले 10-15 वर्षों में बिटुमिनस क्रस्ट की मोटाई 25-30 सेमी० से भी अधिक हो गयी है। अतः मार्ग वारतव में Perpetual Pavement बन चुकी है, जिसमें कि टॉप लेयर ही Sacrificial Layer बन कर क्षतिग्रस्त होती है। लेकिन मार्ग की क्रस्ट ट्रैफिक के अनुरूप पर्याप्त रहती है। Bituminous raising से कई प्रकार के नुकसान हो रहे हैं। जैसे :-

- अनावश्यक रूप से Re-Surfacing पर अधिक व्यय भार हो रहा है।
- हर 2-4 साल में Re-Surfacing/Strengthening होने के कारण मार्ग की सतह लगभग फुटपाथ के बराबर आ गयी है तथा कई स्थानों पर केंसी० ड्रेन का रूप ही बदल गया है तथा मार्ग वाहनों हेतु खतरनाक हो गया है।
- मार्ग की सतह अप्रत्याशित रूप से उठने के कारण लोगों के घर नीचे हो जाते हैं, जिसके कारण ड्रेनेज की समस्या रहती है तथा जनता का विरोध रहता है।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि आबादी/शहरी भागों में Micro-Surfacing के कार्य को ही बढ़ावा दिया जाय। मात्र जहां सरफेस बेहद खराब हो अथवा सीधे लाइन/केविल आदि से पूरी सतह खराब हो गयी हो को छोड़कर, सभी मार्गों पर Micro-Surfacing को ही नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित किया जाय।

०१ (एच०क० उप्रेती)  
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

प्रमुख अभियन्ता  
लोक निर्माण विभाग।